



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2017/चैत्र 9, 1939

No. 242]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2017/CHAITRA 9, 1939

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

सा.का.नि. 304 (अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पाठित, धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, नव मंगलूर पत्तन के बोर्ड के न्यासीगण द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्नित अनुसूची में निर्दिष्टानुसार, नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 को, एतद्वारा अनुमोदन देती है।

2. उक्त विनियम, सरकारी राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

अनुसूची

नव मंगलूर पत्तन न्यास

नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन के बोर्ड के न्यासीगण, एतद्वारा नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2017 को, और आगे संशोधन करने हेतु, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं।

1. लघु शीर्ष एवं प्रारंभ

(i) ये विनियम, नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 कहे जाएँ।

(ii) ये, भारत के राजपत्र में, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 एवं 132 के प्रावधानों के तहत, आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, प्रकाशन होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2009 में, खंड (थ) के नीचे विनियम 3 के तहत, निम्नलिखित को (द) के रूप में जोड़ा जाए :—

”(द) किसी भी ग्रेड के संबंध में, ‘नियमित सेवा’ का तात्पर्य, चयन के उपरान्त और उक्त ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, नियमों के तहत हुई नियुक्ति के बाद, की गई सेवा की अवधि या अवधियाँ और जिसमें कोई भी अवधि या अवधियाँ शामिल हैं :

- (i) विनियमों की अधिसूचना के समय पर, जो पहले से ही सेवा कर रहे हो, के मामलों में, वरिष्ठता के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
- (ii) जिस अवधि के दौरान, अधिकारी ने उक्त ग्रेड में पद को संभाला हुआ होगा, पर लेकिन छुट्टी पर रह रहे थे या अन्यथा ऐसे पदों को संभालने के लिए उपलब्ध नहीं थे।”

[मिसिल क्र. पीआर-12012/9/2016-पीई-I]

प्रवीर कृष्ण, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 27.3.1980 को सा.का.नि सं. 156 (अ) में प्रकाशित थे और बाद के संशोधन इस प्रकार है :

1. सा.का.नि. सं. 1041(अ), दिनांक 05.12.1989
2. सा.का.नि. सं. 940(अ), दिनांक 07.12.1990
3. सा.का.नि. सं. 92(अ), दिनांक 27.02.1991
4. सा.का.नि. सं. 658(अ), दिनांक 31.10.1991
5. सा.का.नि. सं. 659(अ), दिनांक 18.11.1991
6. सा.का.नि. सं. 23(अ), दिनांक 15.01.1993
7. सा.का.नि. सं. 530(अ), दिनांक 03.08.1993
8. सा.का.नि. सं. 454(अ), दिनांक 12.05.1994
9. सा.का.नि. सं. 15(अ), दिनांक 09.01.1996
10. सा.का.नि. सं. 257(अ), दिनांक 27.06.1996
11. सा.का.नि. सं. 289(अ), दिनांक 27.06.1996
12. सा.का.नि. सं. 135(अ), दिनांक 06.03.1997
13. सा.का.नि. सं. 136(अ), दिनांक 06.03.1997
14. सा.का.नि. सं. 384(अ), दिनांक 10.07.1997
15. सा.का.नि. सं. 429(अ), दिनांक 29.07.1997
16. सा.का.नि. सं. 471(अ), दिनांक 19.08.1997
17. सा.का.नि. सं. 334(अ), दिनांक 04.06.1998
18. सा.का.नि. सं. 658(अ), दिनांक 05.11.1998
19. सा.का.नि. सं. 667(अ), दिनांक 10.11.1998
20. सा.का.नि. सं. 688(अ), दिनांक 19.11.1998
21. सा.का.नि. सं. 717(अ), दिनांक 03.12.1998
22. सा.का.नि. सं. 755(अ), दिनांक 18.12.1998
23. सा.का.नि. सं. 777(अ), दिनांक 30.12.1998
24. सा.का.नि. सं. 85(अ), दिनांक 10.02.1999
25. सा.का.नि. सं. 86(अ), दिनांक 10.02.1999
26. सा.का.नि. सं. 90(अ), दिनांक 10.02.1999
27. सा.का.नि. सं. 297(अ), दिनांक 29.04.1999
28. सा.का.नि. सं. 325(अ), दिनांक 10.05.1999
29. सा.का.नि. सं. 350(अ), दिनांक 14.05.1999
30. सा.का.नि. सं. 365(अ), दिनांक 19.05.1999

31. सा.का.नि. सं. 366(अ), दिनांक 19.05.1999
32. सा.का.नि. सं. 418(अ), दिनांक 08.06.1999
33. सा.का.नि. सं. 587(अ), दिनांक 12.08.1999
34. सा.का.नि. सं. 595(अ), दिनांक 18.08.1999
35. सा.का.नि. सं. 4(अ), दिनांक 01.01.2000
36. सा.का.नि. सं. 8(अ), दिनांक 01.01.2000
37. सा.का.नि. सं. 9(अ), दिनांक 01.01.2000
38. सा.का.नि. सं. 10(अ), दिनांक 01.01.2000
39. सा.का.नि. सं. 105(अ), दिनांक 10.02.2000
40. सा.का.नि. सं. 130(अ), दिनांक 16.02.2000
41. सा.का.नि. सं. 131(अ), दिनांक 16.02.2000
42. सा.का.नि. सं. 232(अ), दिनांक 08.03.2000
43. सा.का.नि. सं. 512(अ), दिनांक 31.05.2000
44. सा.का.नि. सं. 557(अ), दिनांक 22.06.2000
45. सा.का.नि. सं. 728(अ), दिनांक 18.09.2000
46. सा.का.नि. सं. 729(अ), दिनांक 18.09.2000
47. सा.का.नि. सं. 776(अ), दिनांक 06.10.2000
48. सा.का.नि. सं. 777(अ), दिनांक 06.10.2000
49. सा.का.नि. सं. 857(अ), दिनांक 09.11.2000
50. सा.का.नि. सं. 365(अ), दिनांक 16.05.2001
51. सा.का.नि. सं. 318(अ), दिनांक 02.05.2002
52. सा.का.नि. सं. 846(अ), दिनांक 28.10.2003
53. सा.का.नि. सं. 282(अ), दिनांक 23.04.2004
54. सा.का.नि. सं. 406(अ), दिनांक 16.06.2005
55. सा.का.नि. सं. 468(अ), दिनांक 12.07.2005
56. सा.का.नि. सं. 48(अ), दिनांक 03.02.2006
57. सा.का.नि. सं. 242(अ), दिनांक 24.04.2006
58. सा.का.नि. सं. 463(अ), दिनांक 04.08.2006
59. सा.का.नि. सं. 75(अ), दिनांक 05.02.2009
60. सा.का.नि. सं. 77(अ), दिनांक 06.02.2009
61. सा.का.नि. सं. 393(अ), दिनांक 16.05.2014
62. सा.का.नि. सं. 626(अ), दिनांक 28.08.2014
63. सा.का.नि. सं. 213(अ), दिनांक 09.07.2017

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2017

G.S.R. 304(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2017 made by the Board of Trustees for the Port of New Mangalore as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

NEW MANGALORE PORT TRUST

New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion)

Amendment Regulations, 2017

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of New Mangalore hereby makes the following regulations further to amend the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotions) Regulations, 2009, namely:

1. Short Title and Commencement

(i) These Regulations may be called the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of Major Port Trusts Act, 1963, in the Gazette of India.

2. In the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, under Regulation 3, below clause 1/4(q), the following shall be added as clause (r):

“(r) ‘Regular Service’ in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection and appointment thereto under the regulations according to the prescribed procedure for regular appointment to that grade and includes any period or periods:

- (i) Taken into account for the purpose of seniority in case of those already in service at the time of notification of regulations;
- (ii) During which an employee would have held a post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts.”

[F. No. PR-12012/9/2016-PE-I]

PRAVIR KRISHN, Jt. Secy.

Foot Note : Principal Regulations published vide GSR No. 156 (E) dated 27.3.1980 and subsequently amended vide:

1. G.S.R. No. 1041(E), dtd. 05.12.1989
2. G.S.R. No. 940(E), dtd. 07.12.1990
3. G.S.R. No. 92(E), dtd. 27.02.1991
4. G.S.R. No. 658(E) dtd. 31.10.1991
5. G.S.R. No. 659(E), dtd. 18.11.1991
6. G.S.R. No. 23(E), dtd. 15.01.1993
7. G.S.R. No. 530(E), dtd. 03.08.1993
8. G.S.R. No. 454(E), dtd. 12.05.1994
9. G.S.R. No. 15(E), dtd. 09.01.1996
10. G.S.R. No. 257(E), dtd. 27.06.1996
11. G.S.R. No. 289(E), dtd. 27.06.1996

12. G.S.R. No. 135(E), dtd. 06.03.1997
13. G.S.R. No. 136(E), dtd. 06.03.1997
14. G.S.R. No. 384(E), dtd. 10.07.1997
15. G.S.R. No. 429(E), dtd. 29.07.1997
16. G.S.R. No. 471(E), dtd. 19.08.1997
17. G.S.R. No. 334(E), dtd. 04.06.1998
18. G.S.R. No. 658 (E),, dtd. 05.11.1998
19. G.S.R. No. 667(E), dtd. 10.11.1998
20. G.S.R. No. 688(E), dtd. 19.11.1998
21. G.S.R. No. 717(E), dtd. 03.12.1998
22. G.S.R. No. 755(E), dtd. 18.12.1998
23. G.S.R. No. 777 (E), dtd. 30.12.1998
24. G.S.R. No. 85(E), dtd. 10.02.1999
25. G.S.R. No. 86(E), dtd. 10.02.1999
26. G.S.R. No. 90(E), dtd. 10.02.1999
27. G.S.R. No. 297(E), dtd. 29.04.1999
28. GSR No. 325(E), dtd. 10.05.1999
29. G.S.R. No. 350(E), dtd. 14.05.1999
30. G.S.R. No. 365(E), dtd. 19.05.1999
31. G.S.R. No. 366(E), dtd. 19.05.1999
32. G.S.R. No. 418(E), dtd .08.06.1999
33. G.S.R. No. 587(E), dtd. 12.08.1999
34. G.S.R. No. 595(E), dtd. 18.08.1999
35. G.S.R. No. 4(E), dtd. 01.01.2000
36. G.S.R. No. 8(E), dtd. 01.01.2000
37. G.S.R. No. 9(E), dtd. 01.01.2000
38. G.S.R. No. 10(E), dtd. 01.01.2000
39. G.S.R. No. 105(E), dtd. 10.02.2000
40. G.S.R. No. 130(E), dtd. 16.02.2000
41. G.S.R. No. 131(E), dtd. 16.02.2000
42. G.S.R. No. 232(E), dtd. 08.03.2000
43. G.S.R. No. 512(E), dtd. 31.05.2000
44. G.S.R. No. 557(E), dtd. 22.06.2000
45. G.S.R. No. 728(E), dtd. 18.09.2000
46. G.S.R. No. 729(E), dtd. 18.09.2000
47. G.S.R. No. 776(E), dtd. 06.10.2000
48. G.S.R. No. 777(E), dtd. 06.10.2000
49. G.S.R. No. 857(E), dtd. 09.11.2000
50. G.S.R. No. 365(E), dtd. 16.05.2001
51. G.S.R. No. 318(E), dtd. 02.05.2002
52. G.S.R. No. 846(E), dtd. 28.10.2003

- 53. G.S.R. No. 282(E), dtd. 23.04.2004
- 54. G.S.R. No. 406(E), dtd. 16.06.2005
- 55. G.S.R. No. 468(E), dtd. 12.07.2005
- 56. G.S.R. No. 48(E), dtd. 03.02.2006
- 57. G.S.R. No. 242(E), dtd. 24.04.2006
- 58. G.S.R. No. 463(E), dtd. 04.08.2006
- 59. G.S.R. No. 75(E), dtd. 05.02.2009
- 60. G.S.R. No. 77(E), dtd. 06.02.2009
- 61. G.S.R. No. 393(E), dtd. 16.05.2014
- 62. G.S.R. No. 626(E), dtd. 28.08.2014
- 63. G.S.R. No. 213(E), dtd. 09/03/2017

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

सा.का.नि. 305(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, चेन्नै पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए चेन्नै पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 को एतदद्वारा अनुमोदन देती है जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में निर्धारित है।

2. कथित संशोधन विनियम इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

चेन्नै पत्तन न्यास

चेन्नै पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चेन्नै पत्तन का न्यासी मंडल, चेन्नै पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2008 में आगे और संशोधन करने, हेतु एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:—

1. संक्षिप्त भीर्षक और प्रारंभ

- (i) इन विनियमों को चेन्नै पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 तथा 132 के प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित केन्द्र सरकार का अनुमोदन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. चेन्नै पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2008 में विनियम 3 के अंतर्गत खण्ड (क्यू) के नीचे निम्नवत खण्ड (आर) को जोड़ा जाए :—

“(आर) किसी ग्रेड के संबंध में “नियमित सेवा” का अर्थ है उस ग्रेड में नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित पद्धति के अनुसार विनियमों के तहत उसपर चयन और नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में की गई सेवा की अवधि या अवधियां तथा इसमें निम्नलिखित अवधि या अवधियां शामिल हैं—

- (i) इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को जो पहले से सेवा में हैं के मामले में वरिष्ठता के प्रयोजन हेतु गिनी जाएगी।
- (ii) जिस दौरान किसी कर्मचारी ने उस ग्रेड में कोई पद धारित किया होता परन्तु छुटटी पर रहने अथवा अन्यथा ऐसे पदों को धारण करने के लिए उपलब्ध न हो।”

[फा. सं. पीआर –12012 / 9 / 2016–पीई–I]

प्रवीर कृष्ण, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियम, दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 के सा.का.नि. सं. 687(अ) के जरिए प्रकाशित हुए थे तदुपरांत दिनांक 26.12.2014 के सा.का.नि. 23(अ) के तहत शुद्धि-पत्र जारी किया गया था। इसके पश्चात दिनांक 18 सितंबर, 2015 के सा.का.नि. सं. 724(अ) के जरिए संशोधन किया गया था।

- (i) दि. 22 नवंबर 2011, एमओएस अधिसूचना सा.का.नि. सं. 834(अ) में पहला संशोधित विनियम।
- (ii) दि. 25 सितंबर 2013, एमओएस अधिसूचना सा.का.नि. सं. 674(अ)
- (iii) दि. 13 जून 2015, एमओएस अधिसूचना सा.का.नि. सं. 504(अ)
- (iv) दि. 14 अगस्त 2015, एमओएस अधिसूचना सा.का.नि. सं. 631(अ)
- (v) दि. 15 जनवरी 2016, एमओएस अधिसूचना सा.का.नि. सं. 36(अ)
- (vi) दि. 15 जून 2016, एमओएस अधिसूचना सा.का.नि. सं. 601(अ)
- (vii) दि. 30 जून 2016, एमओएस अधिसूचना सा.का.नि. सं. 641(अ)
- (viii) दि. 30 दिसंबर 2016, एमओएस अधिसूचना सा.का.नि. सं. 1187(अ)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2017

G.S.R. 305(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Chennai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017, made by the Board of Trustees for the port of Chennai as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

CHENNAI PORT TRUST

Chennai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion)

Amendment Regulations, 2017

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Chennai Port hereby makes the following Regulations further to amend the Chennai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008, namely:-

1. Short Title and Commencement:

- (i) These Regulations may be called the Chennai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017;
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Sections 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963, in the Gazette of India.

2. In the Chennai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008, under Regulation 3, below clause (q), the following shall be added as clause (r):

“(r) ‘Regular Service’ in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection and appointment thereto under the regulations according to the prescribed procedure for regular appointment to that grade and includes any period or periods:

- (i) Taken into account for the purpose of seniority in case of those already in service at the time of notification of regulations;
- (ii) During which an employee would have held a post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts.”

[F. No. PR-12012/9/2016-PE-I]

PRAVIR KRISHN, Jt. Secy.

Foot Note : Principal Regulation – Chennai Port Trust Employees’ (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008 published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 17(E), dated 7th January 2009

- (i) First amendment Regulations vide MoS notification G.S.R. No. 834(E) dated the 22nd November, 2011.
- (ii) MOS’s notification G.S.R. No. 674(E), dated 25th September 2013.
- (iii) MOS’s notification G.S.R. No. 504 (E), dated 13th June 2015
- (iv) MOS’s notification G.S.R. No. 631(E), dated 14th August 2015
- (v) MOS’s notification G.S.R. No. 36 (E), dated 15th January 2016
- (vi) MOS’s notification G.S.R. No. 601(E), dated 15th June 2016
- (vii) MOS’s notification G.S.R. No. 641(E), dated 30th June 2016
- (viii) MOS’s notification G.S.R. No. 1187(E), dated 30th December 2016

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

सा.का.नि. 306(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963(1963 की 38) की धारा 124 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 132 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्र सरकार एतद्वारा कोचिन पोर्ट के लिये न्यासीमण्डल द्वारा बनाये गये कोचिन पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 को अनुमोदन करती है एवं इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में व्यक्त करती है।

2. उक्त विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963(1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं उक्त अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन के साथ कोचिन पोर्ट के न्यासीमण्डल एतद्वारा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 में आगे संशोधन के लिये निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, जैसे कि:-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (i) इन विनियमों को “कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017” कहा जा सकता है।
- (ii) ये विनियम महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 एवं 132 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन से सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2 कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 में विनियम 3 ‘परिभाषा’ के अंतर्गत ‘नियमित सेवा’ की परिभाषा को क्रम संख्या (d) में निम्न प्रकार से शामिल किया जायेगा:

“(d) किसी ग्रेड के संबंध में “नियमित सेवा” का अर्थ है उस ग्रेड में नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित पद्धति के अनुसार विनियमों के तहत उसपर चयन और नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में की गई सेवा की अवधि या अवधियां तथा इसमें निम्नलिखित अवधि या अवधियां शामिल हैं—

- (i) इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को जो पहले से सेवा में हैं के मामले में वरिष्ठता के प्रयोजन हेतु गिनी जाएगी।
- (ii) जिस दौरान किसी कर्मचारी ने उस ग्रेड में कोई पद धारित किया होता परन्तु छुटटी पर रहने अथवा अन्यथा ऐसे पदों को धारण करने के लिए उपलब्ध न हो।”

[फा. सं. पीआर –12012 / 9 / 2016–पीई–I]

प्रवीर कृष्ण, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :प्रधान विनियम सा.का.नि. संख्या 862(अ) दिनांक 28.10.2010 को प्रकाशित किया गया। तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्या 849(अ) दिनांक 25.10.2014, सा.का.नि. संख्या 604(अ) दिनांक 31.07.2015, सा.का.नि. संख्या 1126(अ) दिनांक 09.12.2016 एवं सा.का.नि. संख्या 1151(अ) दिनांक 16.12.2016

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2017

G.S.R. 306(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017, made by the Board of Trustees for the port of Cochin as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

COCHIN PORT TRUST

Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion)

Amendment Regulations, 2017

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Cochin Port hereby makes the following Regulations further to amend the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, namely:-

1. Short Title and Commencement:

- (i) These Regulations may be called the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017;
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Sections 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963, in the Gazette of India.

2. In the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, under Regulation 3, below clause (q), the following shall be added as clause (r):

“(r) ‘Regular Service’ in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection and appointment thereto under the regulations according to the prescribed procedure for regular appointment to that grade and includes any period or periods:

- (i) Taken into account for the purpose of seniority in case of those already in service at the time of notification of regulations;
- (ii) During which an employee would have held a post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts.”

[F. No. PR-12012/9/2016-PE-I]

PRAVIR KRISHN, Jt. Secy

Foot Note: Principal Regulations published *vide* G.S.R. No. 862(E) dated 28.10.2010, Subsequently amended *vide* G.S.R. No. 849(E), dated 25.10.2014, G.S.R. No. 604(E), dated 31.07.2015. G.S.R. No. 1126(E), dated 9.12.2016 and G.S.R. No. 1151(E), dated 16/12/2016.